प्रेस के लिए सूचना (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 150/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)

www.trai.gov.in

डिजिटल कंसेंट एक्विज़िशन (DCA) पायलट के तहत चुनिंदा ग्राहकों को SMS सूचनाएँ भेजे जाने संबंधी घोषणा

नई दिल्ली, 10 दिसंबर 2025: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने आज सूचित किया है कि RBI के सहयोग से संचालित डिजिटल कंसेंट एक्विज़िशन (DCA) पायलट के अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाता (TSPs) शीघ्र ही चुनिंदा (सीमित संख्या) ग्राहकों को SMS सूचनाएँ भेजना आरंभ करेंगे। यह पायलट नौ दूरसंचार सेवा प्रदाता और ग्यारह प्रमुख बैंकों के साथ शुरू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को पूर्व में दी गई प्रचारात्मक संचार संबंधी सहमतियों का डिजिटल रूप से अवलोकन, प्रबंधन और आवश्यकता पड़ने पर वापसी सक्षम करना है। यह पहल पुराने (legacy) सहमति प्रथाओं में मौजूद कमियों को दूर करने और एकीकृत डिजिटल कंसेंट प्लेटफ़ॉर्म की तत्परता का मूल्यांकन करने हेतु महत्वपूर्ण चरण है।

टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन्स कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन्स, 2018 के अंतर्गत ग्राहक कॉल/संदेश को श्रेणी-आधारित रूप से अवरुद्ध कर सकते हैं तथा विशिष्ट संस्थाओं से संचार की अनुमति भी दे सकते हैं। विनियम के अनुसार, व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा सहमतियों को दर्ज करने हेतु डिजिटल कंसेंट रजिस्ट्री का प्रावधान है। तथापि, पहले से उपलब्ध कागज़ आधारित या संस्थागत डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से ली गई सहमतियों को डिजिटाइज़ कर एकीकृत प्रणाली में जोड़ना एक बड़ी चुनौती रहा है, जिससे सहमति प्रथाएँ असंगठित और गैर-मानकीकृत बनी रहीं। इसके परिणामस्वरूप, ग्राहक पुरानी सहमतियों को न तो देख पा रहे थे और न ही उन्हें वापस ले पा रहे थे।

इन कमियों को दूर करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु TRAI और RBI ने संयुक्त रूप से DCA पायलट प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत ग्राहकों को एक एकीकृत डिजिटल इंटरफ़ेस उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सहमति में परिवर्तन अथवा सहमति वापसी पर प्रचारात्मक संचार स्वतः बंद हो जाएगा।

पायलट में भागीदार नौ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा ग्यारह बैंकों–SBI, PNB, Axis Bank, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Kotak Mahindra Bank, IndusInd Bank, ICICI Bank, HDFC Bank, Indian Overseas Bank तथा Punjab & Sind Bank–ने आवश्यक तकनीकी विकास और प्रणाली एकीकरण पूर्ण कर लिया है। बैंक अब पायलट हेतु पुरानी सहमतियों के नमूना सेट तथा नई सहमतियों को साझा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं।

सिस्टम परीक्षण के अंतर्गत जिन ग्राहकों की सहमतियाँ अपलोड की गई हैं, उन्हें दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा शॉर्ट कोड 127000 से SMS सूचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं। ये संदेश केवल सीमित संख्या में उन्हीं ग्राहकों को भेजे जाएँगे जिनकी सहमतियाँ प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हैं। पायलट का यह चरण केवल तत्परता जाँच हेतु है; अतः सभी ग्राहकों को संदेश प्राप्त नहीं होंगे।

प्रत्येक SMS में एक परामर्श संदेश तथा एक सुरक्षित लिंक होगा, जिसके माध्यम से ग्राहक अपने दूरसंचार सेवा प्रदाता के अधिकृत कंसेंट मैनेजमेंट पृष्ठ पर जाकर ग्यारह बैंकों द्वारा दर्ज सहमतियों को देख सकेंगे तथा जारी रखने, संशोधित करने या वापस लेने का विकल्प चुन सकेंगे। किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत/वित्तीय जानकारी नहीं माँगी जाएगी। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि केवल 127000 शॉर्ट कोड से प्राप्त संदेशों पर ही कार्रवाई करें। इन संदेशों पर कार्रवाई वैकल्पिक है, परंतु सहमति में परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं।

ह/-

(एस. बी. सिंह)

सचिव-प्रभारी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण